न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 127/12 **निर्णय दिनांकः— 09.05.2019**

1. चीमाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

2. गणेशाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. मूलाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 02—05—2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री सोमदत्त पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 02—05—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 183/2, 19/2, 225/183 के मुरब्बा नम्बर 70/33 व 69/40 तादादी 25 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आवंटित तथा कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि चकों परआने पर चक 14 डीडी में 25 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र दिनांक 26—07—2006 को राजस्व रिकार्ड की मूल/प्रमाणित पेश नहीं करने पर खारिज कर दिया गया। जिस पर अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक 14—08—2006 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादगस्त् भूमि वाके रोही ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 183/3, 19/2, 225/183 के मुरब्बा नम्बर 70/33 व 69/40 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि उपनिवेशन व रेवेन्यू में तब्दीली के समय आराजीराज दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट की ढाणी बनी हुई है तथा अपीलांट परिवार सहित वादगत् भूमि पर निवास कर रहा है। अपीलांट उक्त आवंटन आदेश के तांबे वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट ने आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के उपरान्त निर्णित किया जाना था।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—07—2006 को राजस्व रिकार्ड की मूल/प्रमाणित पेश नहीं करने पर वाद खारिज कर दिया गया। जिस पर अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक 14—08—2006 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर कोई टिप्पणी किये बिना ही वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वादी को टीसी आवंटित की गई थी प्रार्थी टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेत स्वतन्त्र है। इस वाद पत्र के जरिये वादी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी/प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगस्त् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित न होकर अस्थाई काश्त हेतु आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के नवीनीकरण हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र के संबंध में अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है प्रार्थी गरीब काश्तकार है। कानून की पेचिदगियॉ एवं अपील के लिये निर्धारित समयावधि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। वादपत्र में उल्लेखित तथ्य सारभूत है तथा वादी/अपीलांट के अधिकारों को प्रभावित करने वाले है। अतः अपीलांट का मियांद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट ने अपने वादपत्र के साथ सन् 2017 एवं इसके बाद के वर्षो के दौरान भूमि के काश्त हेतु आवंटन का रिकार्ड प्रस्तुत किया है। परीक्षण न्यायालय का दायित्व था कि साक्ष्य आदि पेश करने के लिए वादी को समुचित अवसर दिया जाता। फिर भी यदि वाद अदम पैरवी या अदम साक्ष्य में खारिज किया गया तथा वादी द्वारा उक्त वाद को पुर्नस्थापित करने की दरखवाश्त पेश की गई तो उक्त दरखवाश्त पर समुचित निर्ण पारित करते। परीक्षण न्यायालय ने रेस्टोरेशन दरखवाश्त को बिना किसी कारण के खारिज करने के साथ मूल वाद को ही अंतिम रूप से खारिज कर दिया।

परीक्षण न्यायालय की उक्त कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया एवं विधि के सामान्य सिद्वान्तों से असंगत होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—05—2008 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर